प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखें)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

148-रेवदर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री मोतीराम

मु. पोस्ट -वासन तह. रेवदर जिला सिरोही

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खडे किए गए है |

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है ।

स्थान : सिरोही

तारीख: 03-12-2023

148-रेवदर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

रिटर्निंग ऑफिसर विधानसमा निर्दाचन क्षेत्र-148 रेक्सर (अ.जा.) एवं उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

रंबदर, जिला-सिरोही

## FORM 21C

(See rule 64)

## Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from the 148-REODAR(SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

## SHREE MOTIRAM

## AT POST - VASAN TEHSIL REODAR DIST. SIROHI

Sponsored by . INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: SIROHI Date: 03-12-2023 (DOODARAM) 2
RETURNING OFFICER
148-REODAR(SC) AC

रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-148 रेवंदर (का का ) एवं उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड सन्तर्द

रेवदर, जिला-सिरोही